

M878/DY.N-968

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii)]

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Direct Taxes

27/3/15
K1


NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2015

S.O. (E).- In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, "West Bengal Transport Workers' Social Security Scheme" of West Bengal State Social Security Board established by Government of West Bengal, in respect of the following specified income arising to that Board, namely:-

- (a) amount received in the form of Government grants;
 - (b) amount received as cess under the West Bengal Motor Transport Workers' Welfare Cess Act, 2010 (West Bengal Act V of 2010) and rules framed thereunder;
 - (c) amount received as registration fees and renewal fees paid by the registered beneficiaries; and
 - (d) interest earned on fixed deposits.
2. This notification shall be applicable for the financial years 2014-15 to 2018-19.
3. The notification shall be effective subject to the conditions that the West Bengal Transport Workers' Social Security Scheme" of West Bengal State Social Security Board -
- (a) does not engage in any commercial activity;
 - (b) its activities and the nature of the specified income remain unchanged throughout the financial years; and
 - (c) it files return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the said Act.

[Notification No. 31/2015 F.No.196/21/2014-ITA.I]



DEEPSHIKHA SHARMA
Director to the Government of India

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Press,
New Delhi.

(भारत के राजपत्र के, असाधारण, भाग-11, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली 27 मार्च 2015

का.आ.....(अ) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा “पश्चिम बंगाल परिवहन वर्कर सामाजिक सुरक्षा योजना” पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा स्थापित पश्चिम बंगाल राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड को उक्त बोर्ड की उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

- (क) सरकारी अनुदानों के रूप में प्राप्त राशि;
 - (ख) पश्चिम बंगाल मोटर परिवहन वर्कर कल्याण उपकर अधिनियम, 2010 (पश्चिम बंगाल अधिनियम 200 का V) और इसके तहत बनाए नियमों के अंतर्गत उपकर के रूप में प्राप्त राशि;
 - (ग) पंजीकृत लाभार्थियों द्वारा अदा पंजीकरण फीस और नवीकरण फीस के रूप में प्राप्त राशि; और
 - (घ) मियादी जमा पर अर्जित ब्याज।
2. यह अधिसूचना वित्त वर्ष 2014-15 से 2018-19 के लिए लागू होगी।
 3. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन प्रभावी होगी, कि पश्चिम बंगाल राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की पश्चिम बंगाल परिवहन वर्कर, ‘सामाजिक सुरक्षा योजना:-
 - (क) कोई भी वाणिज्यिक कार्यकलाप नहीं करेगा;
 - (ख) इसके कार्यकलाप और विनिर्दिष्ट आय का स्वरूप संपूर्ण वित्तीय वर्ष में अपरिवर्तनीय रहते हैं;
 - (ग) अपनी आय की विवरणी उक्त अधिनियम, की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के उपबंध के अनुसार दायर करता है।

(अधिसूचना संख्या 3/ 2015/ फा.स. 196/21/2014 आई.टी.ए.)

दीपाशिखा शर्मा

(दीपाशिखा शर्मा)

निदेशक, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,
(राजौरी गार्डन के समीप), नई दिल्ली।